

राजस्थान-सरकार

निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: राजपत्रित/ट्रेनिंग/2009/ 42

दिनांक : 21-1-09


**-: आदेश :-**

राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, झालाना इनस्टिट्यूशनल एरिया, दूरदर्शन के पास, जयपुर द्वारा आयोजित दिनांक 05.02.09 से 19.02.09 तक Foundation Course हेतु निम्न चिकित्सा अधिकारियों को मनोनित किया जाता है :-

क्र.सं.	अधिकारी का नाम	पदस्थापन स्थान
1.	डॉ. कुसुम खोईवाल, चि0अ0	प्रा0स्वा0केन्द्र, कुकनवाली (नागौर)
2.	डॉ. रतिराम मीणा, चि0अ0	प्रा0स्वा0केन्द्र, पालना (बीकानेर)
3.	डॉ. अविकल्क प्रकाश, चि0अ0	प्रा0स्वा0केन्द्र, सुनाना (बीकानेर)
4.	डॉ. बाबूलाल मीणा, चि0अ0	जिला चिकित्सालय, बारा
5.	डॉ. मुकेश कुमार शर्मा, चि0अ0	सामु0स्वा0केन्द्र, सरोलकलां (झालावाड)
6.	डॉ. प्रिया रूडवाल, चि0अ0	प्रा0स्वा0केन्द्र, नयागांव (बांसवाडा)
7.	डॉ. आनन्द देराश्री, चि0अ0	प्रा0स्वा0केन्द्र, पूथोली (चित्तौडगढ़)
8.	डॉ. शील गुप्ता, चि0अ0	सामु0स्वा0केन्द्र, कवास (बाडमेर)
9.	डॉ. रमेश कुमार खत्री, चि0अ0	सामु0स्वा0केन्द्र, बीसाला (बाडमेर)
10.	डॉ. अशोक मेघवाल, चि0अ0	प्रा0स्वा0केन्द्र, सागोद (जैसलमेर)
11.	डॉ. राशि भेलरे, चि0अ0	प्रा0स्वा0केन्द्र, हारजी (जालौर)
12.	डॉ. वर्षा जैन, चि0अ0	सामु0स्वा0केन्द्र, सोजत रोड (पाली)
13.	डॉ. दीप्ति शर्मा, चि0अ0	प्रा0स्वा0केन्द्र, चित्तौडा (धौलपुर)
14.	डॉ. सुरेश चंद मीणा, चि0अ0	प्रा0स्वा0केन्द्र, करनीकोट (अलवर)
15.	डॉ. अजित सिंह यादव, चि0अ0	सामु0स्वा0केन्द्र, शाहजहांपुर (अलवर)
16.	डॉ. सविता अग्रवाल, चि0अ0	प्रा0स्वा0केन्द्र, बाहज (भरतपुर)
17.	डॉ. सुरेश सिंह चौहान, चि0अ0	प्रा0स्वा0केन्द्र, बर (अजमेर)
18.	डॉ. राजविन्द्र सिंह, चि0अ0	प्रा0स्वा0केन्द्र, सिनसिनी (भरतपुर)
19.	डॉ. रविन्द्र यादव, चि0अ0	प्रा0स्वा0केन्द्र, खेजरोली (जयपुर)
20.	डॉ. जितेन्द्र सिंह यादव, चि0अ0	प्रा0स्वा0केन्द्र, फतेरा (सीकर)
21.	डॉ. अविनाश शर्मा, चि0अ0	प्रा0स्वा0केन्द्र, हमीरपुर (टोंक)
22.	डॉ. अशोक कुमार चौधरी, चि0अ0	प्रा0स्वा0केन्द्र, टीबा बसी (झुन्झुनू)
23.	डॉ. सुरेन्द्र कुमार बेनीवाल, चि0अ0	प्रा0स्वा0केन्द्र, बोरदा (भीलवाडा)
24.	डॉ. सुषमा चौधरी, चि0अ0	सामु0स्वा0केन्द्र, पिपराली (सीकर)
25.	डॉ. राम दयाल तेली	एमएसयू जोन अजमेर
26.	डॉ. सेवाराज	जिला चिकित्सालय, नागौर
27.	डॉ. केवल राम गौर	प्रा.स्वा. केन्द्र, बासनी (नागौर)
28.	डॉ. महेश चन्द मिश्रा	प्रा.स्वा. केन्द्र, धनकोली (नागौर)
29.	डॉ. सरोज	प्रा.स्वा. केन्द्र, बिग्गा (बीकानेर)
30.	डॉ. दीवान सिंह जांखड़	प्रा.स्वा. केन्द्र, डाबली राठान (हनुमानगढ़)

31	डॉ. मनोज कुमार गुप्ता	सामु.स्वा. केन्द्र, सरोलाकलां (झालावाड)
32	डॉ. कृष्ण गोपाल शर्मा	सामु.स्वा. केन्द्र, सुनेल (झालावाड)
33.	डॉ. नविता गुप्ता	प्रा.स्वा. केन्द्र, दिगोद (कोटा)
34.	डॉ. मिठा लाल मीणा	प्रा.स्वा. केन्द्र, आवां (कोटा)
35.	डॉ. सुनिल कुमार गुप्ता	प्रा.स्वा. केन्द्र, महस्वा (करौली)

उक्त सभी चिकित्सकों को निर्देशित किया जाता है कि उक्त प्रोग्राम में भाग लेने हेतु दिनांक 04.02.09 को सायं निर्धारित स्थान पर अपनी उपस्थिति दर्ज करवायेंगे। अन्यथा श्रीमान प्रमुख शासन सचिव महोदय के पत्र क्रमांक: पं.(6)ट्रेनिंग(पीएल.2)आरएचएसडीपी/2007/4405 दिनांक 14.6.07 के अनुसरण में प्रशिक्षण में अनुपस्थित रहने पर प्रशिक्षण राशि उनके वेतन से वसूली की जावेगी एवं सी.सी.ए. नियमों के अन्तर्गत कार्यवाही भी प्रस्तावित की जावेगी, जिसकी समस्त जिम्मेदारी स्वयं की होगी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा उक्त नमोनित प्रशिक्षणार्थी को विशेष कठिन परिस्थिति होने पर उनके स्थान पर दूसरे चिकित्सक को मनोनित करेंगे जिसने पूर्व में यह प्रशिक्षण नहीं लिया हो, साथही प्रशिक्षण में जाने वाले चिकित्सक को यह भी निर्देशित करावे कि प्रशिक्षण के दौरान केवल प्रशिक्षणार्थी हेतु ही आवास व्यवस्था की गई है इसलिए अन्य (पारिवारिक सदस्य/मित्र को भी) किसी को भी वहां ठहरने की अनुमति नहीं दी जावेगी।


  
 निदेशक (जन स्वास्थ्य)  
 चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये,  
 राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक: राजपत्रित/ट्रेनिंग/2009/ 42

दिनांक : 21-1-09

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सहायक, प्रोजेक्ट निदेशक, आर.एच.एस.डी.पी., मुख्यालय।
3. निदेशक, राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, झालाना इनस्टिट्यूशनल एरिया, दूरदर्शन के पास, जयपुर को उनके पत्र क्रमांक 5229 दिनांक 17.12.08 के क्रम में भेजकर लेख है कि प्रशिक्षण में उपस्थित प्रशिक्षणार्थियों की सूचना एवं प्रशिक्षण में अनुपस्थित रहने वाले प्रशिक्षणार्थियों की सूचना भिजवावे ताकि उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित की जा सकें।
4. समस्त संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये जोन।
5. सम्बन्धित प्रमुख चिकित्सा अधिकारी।
6. सम्बन्धित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को भेजकर लेख है कि आपके अधीन कार्यरत उक्त चिकित्सक को उक्त प्रशिक्षण में दि० 4.2.09 को सायं प्रशिक्षण स्थल पर उपस्थित होने हेतु निर्देशित करते हुये कार्य मुक्त करें।
7. सम्बन्धित चिकित्सक द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
8. प्रभारी, सरवर कम्प्यूटर रूम, मुख्या. को आदेश की प्रति भिजवाकर लेख है कि उक्त आदेश को इन्टरनेट एवं जिला मुख्यालय संबंधित की वेबसाइट पर तुरन्त डलवाने का श्रम करें।
9. आदेश पत्रावली।

  
 निदेशक (जन स्वास्थ्य)  
 चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये,  
 राजस्थान, जयपुर।